



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffolk@gmail.com

पत्र संख्या-8बी/यू.पी./06/08/2019/एफ.सी./640

दिनांक: 18.02.2019

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन,
17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/26962/2017)

विषय : आगरा में फतेहाबाद रोड पर अवन्तीबाई चौराहा से कचौराघाट मार्ग के किमी 0 10 किमी 0 से 11 किमी 0 तक का 6 लेन चौड़ीकरण हेतु 1.4 हे 0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 126 वृक्षों के पातन के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-1597/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/रोड/26962/2017, दिनांक-07.02.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में मुझे यह सूचित करना है कि क्योंकि उक्त प्रस्ताव TTZ के अन्तर्गत आता है एवं इसमें 126 वृक्षों का पातन भी प्रस्तावित है। अतः उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। कृपया आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(के0के0 तिवारी)
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ
2. प्रभागीय निदेशक, अवध वन प्रभाग, आगरा, उ0 प्र0।
3. अधिशासी अभियन्ता (निर्माण खण्ड-1) लोक निर्माण विभाग, आगरा, उ0प्र0।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

(के0के0 तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}